

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

अनुपूरक कार्यसूची

अष्टम् सत्र

शुक्रवार, 28 मार्च, 2025/7 चैत्र, 1946(शक्)
11.00 बजे (पूर्वाह्न)

4(क) विधायी कार्यः

(I) सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(1) श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2025
(2025 का विधेयक संख्यांक 8)

वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(2) श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025
(2025 का विधेयक संख्यांक 9)

प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(3) श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2025
(2025 का विधेयक संख्यांक 10)

प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(II) सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

- (1) श्री सुखविन्दर सिंह सुकबू, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता
मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश)
संशोधन विधेयक, 2025
(2025 का विधेयक संख्यांक 8)
- } (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000
का अधिनियम संख्यांक 11) का और
संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार
किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को
पारित किया जाए।

- (2) श्री सुखविन्दर सिंह सुकबू, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान
हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते
और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025
(2025 का विधेयक संख्यांक 9)
- } सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन)
अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम
संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए
विधेयक पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को
पारित किया जाए।

- (3) श्री सुखविन्दर सिंह सुकबू, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान
हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और
उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2025
(2025 का विधेयक संख्यांक 10)
- } सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन
अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम
संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए
विधेयक पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को
पारित किया जाए।

शिमला-171004
दिनांक: 28 मार्च, 2025

(यशपाल शर्मा)
सचिव।